देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित

www.page3news.in

नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 98 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021

मौसम अधिकतम 31.0° न्यूनतम 24.0°

39243.40 | 2 चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला | 7 पुराने दोस्तों को नहीं भूले धोनी

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कर दिया बहाल

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार को अच्छी खबर है। सरकार ने DA/DR पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। डीए और डीआर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इससे 60 लाख पेंशनर्स और 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

क्या होता है महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। पेंशनर्स को महंगाई राहत भी इसका लाभ मिलता है। डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।

जेसीएम की मीटिंग

इससे पहले ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नेशनल काउंसिल की 26 जून को अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। इसमें सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर फैसला लिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है।

पांच साल तक जारी रहेगा आयुष मिशन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन, भारत के शिपिंग इंडस्ट्रीज को मजबूती देने और जहाजों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन समेत कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने कपड़ों के एक्सपोर्ट पर राज्य और केंद्रीय टैक्स और लेवी के रियायत को 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही NEIFM (North Eastern Institute of Folk Medicine) का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है जिसके बाद इसका नाम (North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research) होगा।

कितना मिलता है डीए

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 प्रतिशत डीए मिलता है। लेकिन, पिछली तीन किस्त को जोड़कर अब यह 28 फीसदी हो जाएगा। जनवरी 2020 में डीए 4 फीसदी बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 फीसदी बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ा है। अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है। पिछले साल, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। कोविड-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

संक्षिप्त समाचार

एलएसी पर नहीं हुई कोई ताजा झड़पः भारतीय सेना

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच किसी तरह की ताजा झड़प से इनकार करते हुए भारतीय सेना ने बुधवार को उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच हुआ समझौता भी रद हो गया है। साथ ही सेना ने यह भी कहा कि सीमा पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना ने बुधवार को यह जानकारी दी। फरवरी में दोनों देशों की सेना वहां से हटी थी।

बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 38 हजार से अधिक मामले

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश में 38792 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 41 हजार मरीज ठीक हुए हैं और देशभर में कोरोना संक्रमण से 624 मौत भी हुई हैं।

सरकारी नौकरी के लिए उम्र में एक साल की छूट

कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों पर लगी मोहर

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक रही, जिसमें 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोविड-19 के कारण जो परीक्षाएं नहीं हो पा रही थीं या परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। उन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए उम्र में एक साल की छूट दी गई है।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक होगी उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।

परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 नए पदों का सृजन किया जाएगा।

लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया। देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी।

बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।

वन विभाग में कैम्पा योजना की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के समुख रखी गयी, कैबिनेट ने वार्षिक रिपोर्ट को दी मंजूरी।

अगर नहीं मान रहे लोग तो फिर से लगाएं प्रतिबंध

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कई राज्यों में कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखे पत्र में कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। केंद्र सरकार ने हिल स्टेशनों पर लोगों की बढ़ती भीड़ और कोरोना गाइडलाइन्स के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

एडवाइजरी में राज्यों को कोविड के उचित व्यवहार से जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर किसी भी ढिलाई के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि किसी प्रतिष्ठानध्परिसरध्बाजार आदि में कोविड-19 के उचित व्यवहार के मानदंडों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो ऐसे स्थान कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में नियमों के पालन नहीं के खिलाफ भी संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

हिल-स्टेशंस पर खूब भीड़ उमड़ रही है। तीसरी लहर से पहले लोग एंज्वॉय करना चाहते हैं। मनाली की यह तस्वीर गवाह है कि लोग कोविड-19 गाइडलाइंस को लेकर कितने सतर्क हैं।

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने यह तस्वीर दिखाई थी कि लोग किस तरह कोविड नियमों को ताक पर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कई राज्यों में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ पर चिंता जता चुके हैं। पीएम ने कहा कि कोरोना ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आती, कोई जाकर के ले आए तो आती है और इसलिए हम अगर बराबर सावधानी करेंगे, तो हम तीसरी लहर को भी रोक पाएंगे।

निर्देश

■नियम के उल्लंघन पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले

कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को करेगा

की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसमें उत्तरी राज्यों से शिव भक्त अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी से जल इकट्ठा करने के लिए पैदल या अन्य साधनों से यात्रा करते हैं।

उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट की पुष्टि होने और संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता।